पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

दिनांक-27.01.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से बम फेंकने की घटना का सफल अनावरण 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 नाजायज देसी बम निष्क्रिय।

- **एस.आर. ट्रेडर्स भवन पर दिनदहाड़े बम फेंकने की घटना कारित करने वाले 05 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **जान से मारने की धमकी एवं संपत्ति क्षति के संबंध में थाना दुबग्गा पर अभियोग पंजीकृत।**
- **स्वॉट/सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही।**
- **गैंग बनाकर योजनाबद्ध ढंग से लूट व रंगदारी की घटना में संलिप्त हैं सभी आरोपी**
- **लूटे गए मोबाइल से धमकी व रंगदारी की मांग करते थे।**
- **रंगदारी न मिलने परएस.आर. ट्रेडर्स भवन पर भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से बम फेंकने की घटना कारित की गयी।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.01.2026 को समय करीब 17.30 बजे कोतवाली दुबग्गा क्षेत्र के ग्राम सिकरौरी स्थित एस.आर. ट्रेडर्स बिल्डिंग पर अज्ञात व्यक्तियों बम फेंका गया था। उक्त घटना के संबंध में वादी **अंकित कुमार सिंह पुत्र मानसिंह निवासी-ग्राम ठकवा थाना मलिहाबाद की** लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध बम फेंककर जान से मारने का प्रयास करने, संपत्ति क्षति पहुंचाने एवं मोबाइल फोन पर धमकी देने के आरोप में कोतवाली दुबग्गा लखनऊ पर अपराध संख्या-24/2026 धारा 109(1)/288/324(4)/351(4) भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी महोदय द्वारा** 02 टीमों का गठन किया गया।।

कार्यवाही-

दिनांक 26.01.2026 को गठित पुलिस टीमों -कोतवाली दुबग्गा टीम व लखनऊ कमिश्नरेट की अपराध शाखा (स्वॉट / सर्विलान्स) टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित करने वाले 05 अभियुक्त गण 1. इन्द्रेश कुमार सिंह 2. ज्ञानेन्द्र कुमार 3. राज उर्फ राजा 4. मोनू 5. अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि गैंग सरगना **इन्द्रेश कुमार** अपने साथियों के साथ मिलकर काफी समय से **सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक गतिविधियों** को अंजाम दे रहा था। इसी क्रम में दिनांक **11.01.2026** को थाना मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत **ग्राम जगतापुर** में एक व्यक्ति, जो रात्रि समय मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने घर जा रहा था, से अभियुक्तों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से उसका मोबाइल फोन लूट लिया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना मलिहाबाद पर **मु0अ0सं0 0021/2026 धारा 309(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

इसके उपरान्त दिनांक **12.01.2026** को लूटे गए मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए अभियुक्तों द्वारा **एस.आर. ट्रेडर्स** के मोबाइल नंबर पर धमकी देते हुए **10 लाख रुपये की रंगदारी** की मांग की गई। रंगदारी की मांग पूरी न होने पर अभियुक्तों द्वारा योजनाबद्ध रूप से दिनांक **16.01.2026** को **दिनदहाड़े एस.आर. ट्रेडर्स भवन पर बम फेंकने की घटना कारित** की गई, जिससे व्यापारी में भय उत्पन्न कर रंगदारी वसूलने का प्रयास किया गया। परन्तु एस.आर. ट्रेडर्स के मालिक द्वारा पुलिस को सूचना देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसके पश्चात रंगदारी की राशि प्राप्त न होने के कारण अभियुक्तों द्वारा पुनः धमकी देने के उद्देश्य से दिनांक **22.01.2026** को थाना काकोरी क्षेत्रान्तर्गत **ग्राम बहरू नहर के किनारे** एक **राह चलती महिला (पीड़िता)** से मोबाइल फोन लूट लिया गया। उक्त संबंध में पीड़िता की तहरीर के आधार पर दिनांक **23.01.2026** को कोतवाली काकोरी लखनऊ पर **मु0अ0सं0 0035/2026 धारा 304(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

दिनांक **23.01.2026** को ग्राम बहरू से लूटे गए मोबाइल की सिम को पूर्व में मलिहाबाद से लूटे गए मोबाइल में डालकर अभियुक्तों द्वारा एस.आर. ट्रेडर्स के मालिक को पुनः कई बार जान से मारने की धमकी दी गई तथा रंगदारी हेतु डराया-धमकाया गया। हालांकि, पीड़ित व्यापारी द्वारा पुलिस पर विश्वास करते हुए किसी प्रकार की रंगदारी नहीं दी गई।

इसके उपरान्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक **26.01.2026** को पुनः घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एक राय होकर **03 अदद नाजायज देसी बम** लेकर घटना स्थल की ओर जा रहे थे, तभी **कोतवाली दुबग्गा पुलिस टीम एवं लखनऊ कमिश्नरेट अपराध शाखा (स्वॉट/सर्विलांस)** द्वारा मुखबिर की सूचना पर **05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।**

2. अभियुक्तों की कार्यप्रणाली एवं अपराध का तरीका

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण गैंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से रंगदारी वसूलने की गतिविधियों में संलिप्त थे।

दिनांक 11.01.2026 को थाना मलिहाबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति से मोबाइल फोन लूट कर उसी मोबाइल का उपयोग करते हुए एस.आर. ट्रेडर्स के मोबाइल नंबर पर कॉल कर **10 लाख रुपये** की रंगदारी की मांग की गई।

रंगदारी न मिलने पर अभियुक्तों द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से दिनांक **16.01.2026** को एस.आर. ट्रेडर्स पर दिनदहाड़े बमबाजी की गई। इसके पश्चात भी अभियुक्तों द्वारा विभिन्न लूटे गए मोबाइल फोनों का प्रयोग कर लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती रहीं।

गिरफ्तारी विवरण-

मुखबिर खास की सूचना पर 05 नफर अभियुक्त गण को अभियुक्त गण को **दिनांक 26.01.2026 को समय 07.30 बजे शेखपुरवा मोड से** गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त मे धारा 288 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 326(G)/317(2)/308(5)/3 (5) भा0न्या0सं0 व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढोत्तरी करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है ।

जबकि एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गण द्वारा थाना मलिहाबाद व थाना काकोरी मे की गयी **लूट से सम्बन्धित मोबाईल की बरामदगी** करते हुए घटना मे प्रयुक्त दो अदद मोटर साईकिल को बरामद किया गया त था पुनः घटना को अन्जाम देने हेतु ले जा रहे **नाजायज 03 अदद देसी बम को निष्क्रिय किया गया ।**

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. **इन्द्रेश कुमार सिंह** पुत्र शिव कुमार सिंह, निवासी आऊमऊ, थाना माल, उम्र करीब 32 वर्ष
2. **ज्ञानेन्द्र कुमार** पुत्र ओम प्रकाश, निवासी भिटौरा, थाना माल, उम्र करीब 25 वर्ष
3. **राज उर्फ राजा** पुत्र लल्लन, निवासी ग्राम हबीबपुर, थाना काकोरी, उम्र करीब 19 वर्ष
4. **मोनू** पुत्र हरिश्चन्द्र, निवासी घनश्यामपुर, थाना काकोरी, उम्र करीब 19 वर्ष
5. **अंकित कुमार** पुत्र अशर्फी, निवासी ग्राम भलिया, थाना काकोरी, उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी एवं विधिक कार्यवाही

अभियुक्तों के कब्जे से—

- **03 अदद नाजायज देसी बम (निष्क्रिय किए गए)**
- लूट से संबंधित **02 अदद मोबाइल फोन**
- घटना में प्रयुक्त **02 अदद मोटरसाइकिल**

बरामद की गई हैं।

मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तों को **न्यायिक अभिरक्षा** में भेजा गया है।

अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 0024/2026 धारा 109(1)/324(4)/351(4)/326(G)/317(2)/308(5)/3 (5) भा0न्या0सं0 व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 0021/2026 धारा 309(4) बीएनएस कोतवाली मलिहाबाद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 0035/2026 धारा 304(2) बीएनएस कोतवाली काकोरी लखनऊ

04अपराधिक इतिहास -अभियुक्त इन्द्रेश –

1. मु0अ0सं0 337/2019 धारा 427/507 भा0द0वि0 व 5/9 बी विस्पोटक अधि0 थाना इटौंजा लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस—

कोतवाली दुबग्गा लखनऊ	लखनऊ कमिश्नरेट अपराध शाखा (स्वॉट / सर्विलान्स) टीम
प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीकान्त राय	श्री शिवानन्द मिश्रा प्रभारी (स्वॉट / सर्विलान्स)
उ0नि0 सन्तोष कुमार सिंह	उ0नि0 आशुतोष पाण्डेय
हे0का0 सुभान खान	उ0नि0 राहुल त्रिपाठी
आरक्षी विनोद कुमार	उ0नि0 प्रकाश सिंह
आरक्षी सतीश कुमार	उ0नि0 प्रशान्त मिश्रा
आरक्षी राहुल सिंह	उ0नि0 असलम खान
	हे0का0 हबीब खान
	हे0का0 अरुण कुमार
	हे0का0 अतुल पाण्डेय
	हे0का0 अमित कुमार
	हे0का0 दिलीप कुमार
	हे0का0 जीत सिंह
	हे0का0 मनोज शुक्ला
	हे0का0 पवन कुमार
	हे0का0 धीरज चौधरी
	आरक्षी मुकेश कुमार
	आरक्षी देशराज
	आरक्षी नाहर सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-165
दिनांक-27.01.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.11.2025 को थाना स्थानीय पर वादी की नाबालिग पुत्री को घर से विपक्षी द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रार्थना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 219/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

महिला सम्बन्धी अपराध को अत्यंत गंभीरता पूर्वक संज्ञान मे लेते हुये प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के निर्देशन मे थाना इटौंजा पुलिस बल द्वारा अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता को पूर्व मे सकुशल बरामद किया गया था एवं अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त अभियुक्त रिजवान पुत्र जलील नि0 वार्ड नं0-2 कटरा मोहल्ला नगर पंचायत महोना थाना इटौजा लखनऊ उम्र करीब 38 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र इटौंजा से आज दिनांक 27.01.26 को अंतर्गत धारा 87/137(2)/64(2)M/65(1)/127(4)/336(2)/ 338/340(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जा रहा है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रिजवान पुत्र जलील नि0 वार्ड नं0-2 कटरा मोहल्ला नगर पंचायत महोना थाना इटौजा लखनऊ उम्र 38 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0 219/2025 धारा 87/137(2)/64(2)M/65(1)/127(4)/336(2)/ 338/340(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना इटौंजा लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 वीरेन्द्र कुमार थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-169
दिनांक-27.01.2026

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01.संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 27.01.2026 को थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त खालिद जमाल पुत्र स्व0 मो0 फारूख निवासी 212/01 महानगर व 10 फैजाबाद रोड थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 64 वर्ष जो काफी दिनो से मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारंट मा0 न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित न होने के कारण अभियुक्त खालिद जमाल उपरोक्त के विरूद्ध केस नंबर 4778/2012 अ0सं0 263/1997 थाना गोमतीनगर लखनऊ में मा0 न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया था। अभियुक्त खालिद जमाल उपरोक्त को अभियुक्त के घर मकान सं0 212/01 महानगर रेलवे क्रासिंग थाना महानगर, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-खालिद जमाल पुत्र स्व0 मो0 फारूख निवासी 212/01 महानगर व 10 फैजाबाद रोड थाना महानगर लखनऊ उम्र करीब 64 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग

01- केस नंबर 4778/2012 अ0सं0 263/1997 थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 महेश कुमार शुक्ला थाना महानगर लखनऊ
2. का0 मनीष कुमार थाना महानगर लखनऊ

कार्यक्रम में महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे **1090 (विमेन पावर लाइन)**, **181 (महिला हेल्पलाइन)**, **1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)**, **112 (आपातकालीन सेवा)** और **1930 (साइबर क्राइम)** की विस्तृत जानकारी दी गई और पंपलेट वितरित किए गए। साथ ही, एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक मोबाइल और महिला शक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली बताते हुए उन्हें सुरक्षित वातावरण के प्रति आश्वस्त किया गया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से "मिशन शक्ति" के प्रमुख लक्ष्यों जैसे सुरक्षा जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी मार्गदर्शन तथा डिजिटल सुरक्षा के बारे में समुदाय को शिक्षित करना था, ताकि महिलाओं और बच्चों को सशक्त एवं सुरक्षित बनाया जा सके।

महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन

1090 (महिला पावर लाइन): महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।

112 (आपातकालीन सेवाएं): किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।

108 (एम्बुलेंस सेवा): तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।

1098 (चाइल्डलाइन): बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।

1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन): सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल

साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।

यूपी कॉप ऐप (UP COP App): उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

पिंक बूथ टीम की भूमिका:

पिंक बूथ आमतौर पर पुलिस या महिला हेल्पलाइन से जुड़ी होती है। उनका सीधा संपर्क राहगीरों से होना एक प्रभावी तरीका है ताकि आम जनता, विशेष रूप से महिलाएं और युवतियां, सीधे तौर पर जानकारी हासिल कर सकें और अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-166

दिनांक – 27.01.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां

- **डायल 112 और थाना निगोहा पुलिस की तत्परता से बचाई गई एक युवक की जान, आत्महत्या का प्रयास विफल ।**
- **थाना निगोहा पुलिस की सक्रियता एवं संवेदनशीलता के चलके एक युवक को आत्महत्या करने से समय रहते बचा लिया गया।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक-27.01.2026 को समय लगभग 10.44 बजे सुबह कन्ट्रोल रुम द्वारा थाना निगोहाँ को सूचना दी गयी कि ग्राम रंजीतखेडा में एक युवक अपनी प्रेमिका से विवाह न हो पाने के कारण मानसिक तनाव में है और आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। सूचना की गम्भीरता को देखते हुए डायल 112 और थाना निगोहाँ की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुँच कर युवक को बेहद सूझ-बूझ के साथ शांत किया और उसे अपने संरक्षण में लिया। युवक को थाने लाकर पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी उचित काउंसलिंग की गई। थाना निगोहाँ **पुलिस ने उसे जीवन के महत्व को समक्षाया और भविष्य में ऐसा कोई घातक कदम न उठाने की सलाह दी।**

थाना निगोहाँ पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित कर उन्हे आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ युवक को सुपुर्द किया गया।

पुलिस की इस त्वरित कार्यवाई की युवक के परिजन एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा सराहना की गयी है।

03-सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीमः-

01-उ0नि0 मोहित सैनी थाना नगराम

02-का0 मुकेश बाबू थाना नगराम लखनऊ

- डायल-112 पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 27.01.2026

मिशन शक्ति: न्याय और अधिकारों की नई कहानी।

थाना मदेयगंज की टीम द्वारा पुरानी बास मंडी और टीजी हॉस्टल क्षेत्र में महिला अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित कर एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह **पिंक बूथ** उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला हे0 का0 वर्तिका चतुर्वेदी, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आशा, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना मदेयगंज क्षेत्र के पुरानी बास मंडी और टीजी हॉस्टल।

प्रतिभाग-

- महिला हे0का0 वर्तिका चतुर्वेदी, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 आशा, थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना मदेयगंज क्षेत्र के पुरानी बास मंडी और टीजी हॉस्टल क्षेत्र में जाकर राहगीरो (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश सरकार के **मिशन शक्ति 5.0** अभियान के अंतर्गत, आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को **थाना मदेयगंज** की टीम द्वारा पुरानी बास मंडी और टीजी हॉस्टल क्षेत्र में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल **वर्तिका चतुर्वेदी** और महिला आरक्षी **आशा** के नेतृत्व में पिंक स्कूटी, एंटी-रोमियो टीम और पिंक बूथ कर्मियों ने स्थानीय व घरेलू महिलाओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।